

शांति भंग करने के 15 आरोपी गिरफ्तार :-

जबर सिंह हैड कानि० थाना बौली ने .1. इन्द्राज पुत्र लक्ष्मण 2. श्रीमति बच्ची पत्नि इन्द्राज 3. श्रीमति सुगना पत्नि सत्यनारायण जातियान बैरबा निवासीयान निमीद थाना बौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार धर्मसिंह स०उ०नि० थाना कोतवाली ने बलवीर पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल नि० पामडी थाना खण्डार स०मा० , हरिसिंह पुत्र रामफूल जाति जाट उम्र 36 साल नि० मेई कला थाना खण्डार स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार हरिभान सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने सत्तार पुत्र श्री अजीज खा उम्र 43 साल निवासी आलनपुर थाना कोतवाली स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार बच्चूसिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने वीर सिंह पुत्र श्री गिराज गुजर उम्र 24 साल निवासी आलनपुर स०मा० , राजकुमार पुत्र श्री रामगोपाल ब्राह्मण उम्र 45 साल निवासी आलनपुर स०मा० , गुलाब चन्द पुत्र श्री पुनीराम जाति मालो उम्र 43 साल निवासी आलनपुर स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार साबिर स०उ०नि० थाना कोतवाली ने प्रभू पुत्र श्री पांचूराम जाति कार उम्र 51 साल निवासी छाबडी चौक आलनपुर स०मा० , श्री राजेश पुत्र श्री बालकेशन जाति गुजर उम्र 30 साल निवासी मदा पाडा आलनपुर स०मा० , श्री प्रहलाद पुत्र श्री कल्याण मालो जाति मालो उम्र 48 साल निवासी छाबडी चौक आलनपुर स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार शैलेन्द्र सिंह स०उ०नि० थाना मानटाउन ने . श्री मुरली पुत्र श्री बृजमोहन जाति मीना उम्र 25 साल नि० रामडी थाना मानटाउन स०मा० , श्री टण्डीराम पुत्र बृजमोहन जाति मीना उम्र 26 साल नि० रामडी थाना मानटाउन स०मा० , श्री बृजमोहन पुत्र श्री जगनलाल जाति मीना उम्र 60 साल नि० रामडी थाना मानटाउन स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर उत्पाते मचाते 02 आरोपी गिरफ्तार:-

केशरलाल स०उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री संजय पुत्र रामनिवास मीना उम्र 36 साल निवासी रावल थाना कोतवाली स०मा० को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार राकेश सोनी स०उ०नि० थाना गंगपुरसिटी ने जगदीश पुत्र राजपाल जाति मीना उम्र 23 साल निवासी मीना बडौदा थाना वजीरपुर को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

01 वारंटी गिरफ्तार :-

चरण सिंह कानि० थाना बामनवास नें फरार वारंटी श्री देवराज पुत्र श्री रमेश चन्द मीना उम्र 28 साल निवासी ठिकरिया थाना बामनवास को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपियान के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान जे०एम कोर्ट बामनवास द्वारा प्रकरण संख्या 149/15 में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था।

ध्वनि प्रदूषण के 02 आरोपी गिरफ्तार :-

विनोद कुमार पारीक उ०नि० थाना रवांजना डूंगर ने पंकज पुत्र भगवान जाति मालो उम्र 19 साल निवासी गणेश नगर लाखेरो थाना लाखेरो जिला बुंदो को ध्वनि प्रदूषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में स्पीकर चला रहा था जिस पर आरोपी के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मय एक डेक मशीन ,दो स्पीकर व पेन ड्राइव के मु०न०201/17 U/S 4/6 RNC ACT में थाना रवांजना डूंगर पर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार रामवीर सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना चौथ का बरवाडा ने श्री लडडुलाल मीना पुत्र श्री छीतर मीना उम्र 30 साल निवासी मोहम्मदगढ थाना उनियारा जिला टोंक को ध्वनि प्रदूषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में ट्रैक्टर पर स्पीकर चला रहा था जिस पर आरोपी के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मय एक डेक मशीन ,व स्पीकर के मु०न० 211/17 U/S 4/6 RNC ACT में थाना चौथ का बरवाडा पर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।